<u>प्रतिलिपि आदेश दिनांक– 09.07.2026</u>
<u>न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)</u>
<u>(पीठासीन अधिकारी – सिराजुद्दीन कुरैशी)</u>

<u>जमानत आवेदन पत्र क्रमॉक–1395/2026</u>
<u>संस्थित दिनॉक 07.07.2026</u>
आबकारी वृत्त सीपत
<u>अपराध क्रमांक–64/2026</u>

कन्हैया कश्यप, उम्र 48 वर्ष पिता विशाल कश्यप,
निवासी ग्राम डगनिया, थाना सीपत
जिला–बिलासपुर(छ.ग.) .....**<u>आवेदक/आरोपी</u>**

– विरूद्ध–

छ0ग0 राज्य,
द्वारा– आबकारी वृत्त सीपत ,
जिला–बिलासपुर (छ0ग0) .....**<u>अनावेदक/अभियोगी</u>**

आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

<u>09.07.2026</u> आवेदक/आरोपी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री फरहीन खान ।
अनावेदक/राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री दाऊ चंद्रवंशी ।

प्रकरण आज केस डायरी/तर्क हेतु नियत है ।

आबकारी वृत्त सीपत से अपराध क्रमांक 64/2026 अंतर्गत धारा 34(1),34(2),59(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त ।

प्रकरण में आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक ने प्रस्तुत आवेदन पर निवेदन किया है कि, आवेदक/आरोपी,आबकारी वृत्त सीपत के अपराध क्रमांक 64/2026 अंतर्गत धारा 34(1),34(2),59(क) छ०ग० आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। उसकी ओर से पेश जमानत आवेदन पत्र को विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है । आवेदक/आरोपी

निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है । उससे किसी भी प्रकार के शराब की जब्ती नहीं हुई है । आवेदक/आरोपी रोजी मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरणपोषण करता है । आवेदक/आरोपी के अधिक दिनों तक जेल में निरुद्ध रहने से उसके परिवार वालों के समक्ष भूखे मरने की स्थिति निर्मित हो जाएगी तथा आवेदक/आरोपी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है । आवेदक/आरोपी के प्रकरण के विवेचना एवं अंतिम निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है । आवेदक/आरोपी जमानत पर रिहा होने के उपरांत अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि प्रकरण के विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। आवेदक/आरोपी के ऊपर लगाये गये आरोप आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड से दंडित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है । आवेदक/आरोपी दर्शित पते का स्थायी निवासी है जहां उसकी चल एवं अचल संपत्ति विद्यमान है जिसके जमानत पश्चात उसके अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है । आवेदक/आरोपी का यह **प्रथम** जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त आवेदक का अन्य आवेदन, किसी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एवं निराकृत नहीं है। उक्त आधार पर आवेदक ने निवेदन किया है कि आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा किया जावे।

आवेदन के समर्थन में आवेदक/आरोपी के रिश्तेदार सुमीत वर्मा उम्र 26 वर्ष पिता श्री दिनेश वर्मा निवासी ग्राम भिल्मी थाना आबकारी वृत्त सीपत जिला बिलासपुर(छ०ग०) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है ।

आवेदक/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत आवेदन की भांति तर्क किया है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत आवेदन का विरोध किया है।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क के आलोक में आबकारी वृत्त सीपत के अपराध क्रमांक 64/2026 अंतर्गत धारा 34(1),34(2),59(क) छ०ग० आबकारी अधिनियम की केस डायरी का परिशीलन किया गया।

अभियोजन का पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 07/07/2026 को आबकारी वृत्त सीपत की पुलिस को मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली कि ग्राम डगनिया

निवासी कन्हैया कश्यप भारी मात्रा में अवैध शराब रखकर विक्रय कर रहा है, सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के समक्ष मुखबिर के बताये अनुसार स्थान पर जाकर आवेदक/आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया और उसको मुखबिर सूचना से अवगत कराकर उसके आधिपत्य के 10 लीटर क्षमता वाले एक प्लास्टिक जरीकेन में भरी लगभग 07 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब मिला, जिसे जब्त किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुसंधान लगभग समाप्ति के स्तर पर है, तात्विक अनुसंधान किया जा चुका है तथा विवेचक की ओर से आरोपी की अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता के संबंध में भी कोई अनुरोध नहीं किया गया है। आवेदक/आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड से दंडित न होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। निश्चित रूप से प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक/आरोपी दिनांक 07.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध होना दर्शित हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं जब्तशुदा शराब की मात्रा पर संपूर्णता से विचार करते हुए आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित पाता हूॅ।

अतः आवेदक/आरोपी **कन्हैया कश्यप** की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता है –

<u>शर्तः</u>–

1. आवेदक/आरोपी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
2. आवेदक/आरोपी अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा ।
3. आवेदक/आरोपी अन्य किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा।
4. इस प्रकृति के अपराध में संलग्न नहीं रहने के संबंध में आवेदक/आरोपी विचारण न्यायालय के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत करेगा ।

यदि आवेदक/आरोपी **कन्हैया कश्यप** द्वारा उपरोक्त शर्तों के पालन में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर

जिला बिलासपुर(छ०ग०) की संतुष्टि योग्य 20,000/– (बीस हजार) रुपये का स्वयं का बंधपत्र एवं इतनी ही राशि का सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत किया जाता है तब आवेदक/आरोपी की अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं की स्थिति में, आवेदक/आरोपी **कन्हैया कश्यप** को जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

आबकारी वृत्त सीपत जिला बिलासपुर(छ.ग.) का प्रतिवेदन प्रकरण पर संलग्न किया जावे।

आदेश की प्रति न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर(छ.ग.) को पालनार्थ प्रेषित किया जाये ।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ आबकारी वृत्त सीपत को केस डायरी सहित सूचनार्थ प्रेषित किया जाये ।

आदेश की प्रतिलिपि ई–मेल के माध्यम से केन्द्रीय जेल, बिलासपुर भेजी जाये ।

प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार समयावधि में भेजी जावे ।

sirajuddin qureshi
Digitally signed by sirajuddin qureshi

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर(छ.ग.)